न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/65 दायरा दिनांक : 08.04.2025

उनवान

दुर्गादान सिंह आत्मज महावीर सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी ग्राम झाडौता, तहसील अटरू, जिला बारां राज0 .... अपीलांट

बनाम

1. बाईजीराज पत्नी महावीर सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी ग्राम झाडौता, तहसील अटरू, जिला बारां राज0
2. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा कटावर, तहसील अटरू, जिला बारां राज0
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, जिला बारां राज0 .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अनुराग गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व
श्री मनोज गौतम अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2 की ओर से

निर्णय दिनांक : 28.08.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 21/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2025 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वाके ग्राम एवं माल झाड़ौता, तहसील अटरू, जिला बारां में वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाते की आराजीयात खाता संख्या 135 का खसरा नं. 196 का रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नं. 197 का रकबा 1.09 हेक्टर, खसरा नं. 198 का रकबा 1.60 हेक्टर, खसरा नं. 368 का रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 390 का रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नं. 391 का रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 472 का रकबा 0.46 हेक्टर, खसरा नं. 473 का रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नं. 474 का रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नं. 813 का रकबा 2.26 हेक्टर, खसरा नं. 827 का रकबा 4.03 हेक्टर, खसरा नं. 945/42 का रकबा 1.82 हेक्टर कुल

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किता 12 का कुल रकबा 12.17 हेक्टर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2025 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। वादीनी/रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम झाडौता ,तहसील अटरू, जिला बारां की आराजी कुल 12 किता की 12.17 हेक्टर के संबंध में विभाजन आराजीयात, बेदखली आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रतिवादी/अपीलान्ट के विरूद्ध प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीनी/रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री पारित फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीनी/रेस्पोडेन्ट कम 1 ने इन तथ्यों के साथ वाद प्रस्तुत किया कि उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात शामलाती खाते की है जिसमे वादीनी व प्रतिवादी कम 1 का नाम बतौर सहकृषक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीनी व प्रतिवादी कम 1 आपस में मां व पुत्र है। उक्त शामलाती आराजीयात का वादीनी व प्रतिवादी कम 1 ने आपसी सहमति से मौखिक रूप से पारिवारिक बंटवारा कर रखा है। इस तथ्य पर गौर किये बिना ही कि वादीनी एवं प्रतिवादी कम 1 के मध्य उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात का पूर्व में आपसी सहमति से बंटवारा हो चुका है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 ने उपरोक्त मौखिक पारिवारिक विभाजन को एक्ट अपोन कर लिया है। इस कारण से विभाजन हो जाने के उपरान्त पुनः विभाजन किये जाने का कानूनन कोई प्रावधान नहीं होने के उपरान्त भी, अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार अटरू को आदेशित फरमाया है कि वह राजस्थान अभिघृति नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार दोनों पक्षों की उपस्थिति में कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करें। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी/अपीलान्ट एवं वादीनी/रेस्पोडेन्ट कम 1 के मध्य उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात का कई वर्षों पूर्व ही मौखिक रूप से विभाजन हो गया था तथा मौखिक विभाजन के अनुसार वादीनी/रेस्पोडेन्ट कम 1 को उपरोक्त वर्णित संपूर्ण 12 किता की 12.17 हेक्टर कृषि आराजीयात में से खसरा नं. 827 की 4.03 हेक्टर कृषि भूमि में से 3.00 हेक्टर कृषि भूमि प्राप्त हुई थी तथा शेष 9.17 हेक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी/अपीलान्ट को प्राप्त हुई थी। चूंकि खसरा नं. 827 की 4.03 हेक्टर भूमि उपरोक्त वर्णित संपूर्ण आराजीयात में से अधिक उपजाऊ भूमि है, इस कारण से प्रतिवादी/अपीलान्ट एवं वादीनी/रेस्पोडेन्ट कम 1 ने आपसी सहमति व स्वतंत्र इच्छा से उपरोक्त लिखे अनुसार उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात का आपसी सहमति से विभाजन कर लिया था तथा विभाजन में प्राप्त भूमियों पर प्रतिवादी/अपीलान्ट व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

वादीनी/रेस्पोडेन्ट कम 1 बहैसियत खातेदार टीनेन्ट वैधानिक रूप से काबिज चले आ रहे थे तथा वर्तमान में भी काबिज है। रेस्पोडेन्ट कम 1 अपीलान्ट की माता है जिसे उपरोक्त कृषि आराजीयात को काश्त करने में अत्यधिक परेशानी होती है तथा अनेकानेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस कारण से उपरोक्त वर्णित संपूर्ण आराजीयात पर अपीलान्ट स्वयं ही खेती व काश्त की व्यवस्था करता है। वादीनी/रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया गया, तदोपरान्त प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद में जर्ये अधिवक्ता अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। प्रतिवादी/अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उसे हर तारीख पेशी पर न्यायालय ने उपस्थित होने की कानूनन आवश्यकता नहीं होने बाबत बतलाया था साथ ही यह भी आश्वस्त किया गया था कि जब कभी भी प्रतिवादी/अपीलान्ट की न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता होगी, तो उसके अधिवक्ता महोदय उसे सूचित करेंगे, इस कारण से प्रतिवादी/अपीलान्ट अपने अधिवक्ता महोदय के भरोसे रहा। प्रतिवादी/अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उससे न तो कभी संपर्क करा, ना ही उसे जवाब दावा प्रस्तुत करने आदि हेतु बतलाया गया, ना ही कभी न्यायालय मे उपस्थित होने हेतु बुलाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर अपील प्रतिवादी/अपीलान्ट की गैर मौजूदगी व अनुपस्थिति में पारित की है। प्रतिवादी/अपीलान्ट उक्त प्रकरण में अपना जवाब दावा आदि एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करना चाहता है तथा उक्त प्रकरण को कंन्टेस्ट करना चाहता है तथा कानून में यह भी प्रावधान है कि किसी भी अधिवक्ता महोदय की गलती का नतीजा पक्षकार को नहीं भुगतान पड़े, इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील प्रतिवादी/अपीलान्ट की गौर मौजूदगी में उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही पारित की गई है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि जहां साम्पातिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो वहां उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये। इस आधार पर निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। यदि प्रतिवादी/अपीलान्ट को जवाब दावा, साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तथा प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट तलब कर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित फरमा दी जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी/अपीलान्ट को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना किसी प्रकार से संभव नहीं होगा। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त किया जाना न्यायोचित व विधि संगत होगा। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय एवं डिक्री

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

जैर अपील निरस्त फरमाई जावे तथा प्रतिवादी/अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत कर तनकियात कायम कर, साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय व डिक्री पारित करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि वादी रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53, 183 व 188 का दावा पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट का दावा स्वीकार किया। अपीलांट व रेस्पोडेंट आपस में मां– बेटे हैं। महावीर सिंह के बेटे व पत्नि है। वसीयत नाम से दर्ज हुई जिसमें प्रत्येक का 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज है। वाद पत्र की मद नं. 2 में पूर्व में आपसी सहमति से बंटवारा कर रखा है। खसरा नं. 827 की 4.03 हेक्टर भूमि में से 3 हेक्टर भूमि बाईजीराज को मिली थी शेष 9.17 हेक्टर दुर्गादान को प्राप्त हुई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.03.2022 में राजीनामे का वर्णन है परन्तु राजीनामा पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.04.2023 में अंकित है कि वकील फरीकेन उपस्थित और फिर साक्ष्य लेकर एक तरफा बहस सुनी गई हमें साक्ष्य, बहस व जिरह का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के कियात्मक आदेश में वादी व प्रतिवादी के हिस्से का उल्लेख नहीं है। स्थायी निषेधाज्ञा अंतिम डिक्री पारित करने के बाद जारी की जा सकती है। पूर्व में विभाजन हो गया है तो पुनः विभाजन नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने हमें साक्ष्य, बहस व जिरह का अवसर प्राप्त होने पर हम अपना पक्ष रखेगे। अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में 1960 मद्रास ए.आई.आर. पेज 391, 1985 आर.आर.डी. पेज 694, 1990(1) आर.एल.आर. पेज 657 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट को जवाब दावा पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है। सी.पी.सी. के अनुसार 60 दिवस विशेष स्थिति में 90 दिवस का ही समय देय है। 500/– रूप्ये कोस्ट पर भी अवसर दिया गया। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं होने से निर्णय के मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादिया का 1/2 हिस्सा निहित है। स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष केवल अंतिम डिक्री में ही दिया जाएगा ऐसा कानून में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आर.आर.टी. 2021 (2) पेज 879 – दावे के दौरान क्या पूर्व विभाजन के अनुसार पार्टी मौके पर कब्जे काश्त में है या नहीं इसकी जानकारी हेतु प्राथमिक डिक्री से पहले मौका

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रिपोर्ट मांगी गई वैध है। आर्डर 20 नियम 18 के अनुसार यदि हिस्से को लेकर विवाद हो तो ही हिस्सा डिक्लेअर करना आवश्यक है परन्तु संदर्भित प्रकरण में जमाबंदी में हिस्सा पूर्व से दर्ज है। हिस्से को लेकर कोई विवाद नहीं है। हिस्सा पहले से एडमिट है। निर्णय गुणावगुण के अनुसार सही है। अपीलांट के हक व हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2021 (2) पेज 879, आर.आर.टी. 2020 (2) पेज 1107 की नजीर उद्धरत की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एक दावा इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम एवं माल झाडौता तहसील अटरू जिला बारां में वादिया एवं प्रतिवादी कम 1 के शामलाती खाते की आराजीयात नकल जमाबंदी संवत 2071–2074 के अनुसार खाता संख्या 135 की कुल किता 12 कुल रकबा 12.17 हेक्टर आराजी स्थित है। वादिया एवं प्रतिवादी कम 1 मां एवं पुत्र है। उक्त शामलाती आराजियात का वादिया एवं प्रतिवादी कम 1 ने आपसी सहमति से बंटवारा कर रखा है। इस प्रकार वादिया अपने हिस्से की आराजी को स्वयं काश्त करती है तथा प्रतिवादी कम 1 अपने हिस्से की आराजी को पृथक से काश्त करता है लेकिन इस वर्ष प्रतिवादी कम 1 वादिया को उसके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी 1/2 हिस्सा को शान्तिपूर्वक काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न करता है और वादिया को अपने हक अधिकारों से वंचित करने पर आमदा है। आराजियात शामलाती खाते में दर्ज होने के कारण वादिया अपने हिस्से की आराजी को अपनी इच्छानुसार काश्त नहीं कर पा रही है और भूमि सुधार, भूमि विकास, मेडबंदी भी नहीं करवा पा रही है तथा राज लगान अदा करने, सिंचाई राशि जमा कराने में वादिया एवं प्रतिवादी कम 1 के मध्य हर वर्ष विवाद उत्पन्न होते रहते है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त वर्णित आराजी का विभाजन करके वादिया का 1/2 हिस्सा जिस पर वह काबिज काश्त है पृथक से वादिया के नाम राजस्व रिकार्ड में खाते दर्ज किया जावे। वादिया के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर से प्रतिवादी कम 1 को बेदखल करके कब्जा वादिया को दिलाया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी कम 1 को पाबंद फरमाया जावे तथा जिन खातेदार ने प्रतिवादी कम 1 की शाखा से ऋण ले रखा है बाद विभाजन उसका नोट पक्षकारान के हिस्से व खाते पर अंकित किया जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/599 दिनांक 12.03.2025 से प्राप्त रिपोर्ट में ग्राम झाडौता तहसील अटरू में खाता संख्या 135 कुल किता 12 का कुल रकबा 12.17 हैक्टर भूमि में खसरा नं. 827 रकबा 4.03 हैक्टर, खसरा नं. 945/42 रकबा 1.82 हैक्टर कुल किता 2 का रकबा 5.85 हैक्टर आराजी खातेदार बाईजीराज पत्नी स्व. महावीर सिंह का कब्जा काश्त है, शेष आराजी खसरा नं. 196 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नं. 197 रकबा 1.09 हैक्टर, खसरा नं. 198 रकबा 1.60 हैक्टर, खसरा नं. 368 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नं. 390 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नं. 391 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नं. 472 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नं. 473 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नं. 474 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नं. 813 रकबा 2.26 हैक्टर कुल 10 किता का रकबा 6.32 हैक्टर आराजी पर खातेदार दुर्गादान सिंह पुत्र महावीर सिंह का कब्जा काश्त होना अंकित है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.03.2025 से पारित निर्णय में अंकित किया कि विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल झाडौता तहसील अटरू की विवादित आराजी खाता संख्या 135 की कुल किता 12 का कुल रकबा 12.17 हेक्टर के संबंध में तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि वह राजस्थान अभिधृति (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार दोनों पक्षों की उपस्थिति में कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करे। प्रतिवादी कम 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादिया के हिस्से व कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे। बैंक के रहन का नोट संबंधित खातेदारान के यथावत रखा जावे। गैर मुमकिन नाला, खाल, गैर मुमकिन छतरी का नोट खाते में यथावत रखा जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2071–74 ग्राम झाडौता तहसील अटरू जिला बारां के अनुसार खाता संख्या नयी 135 की कुल किता 12, कुल रकबा 12.17 हैक्टर आराजी बाईजीराज बेवा महावीर सिंह व दुर्गादान पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत सा. देह के खाते दर्ज रिकार्ड है। वादिया रेस्पोडेंट कम 1 ने वादिया एवं प्रतिवादी कम 1 के मध्य आपसी सहमति से हुए बंटवारे एवं वर्तमान में काबिज काश्त के आधार पर विवादित आराजी का बंटवारा चाहा है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादिया रेस्पोडेंट कम 1 एवं प्रतिवादी अपीलांट के मध्य विवादित आराजी के संदर्भ में आपसी सहमति से हुए पूर्व बंटवारें का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। साक्ष्य वादी में केवल स्वयं वादिया बाईजीराज का शपथपत्र पेश हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार अटरू से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 12.03.2025 के आधार पर राजस्थान अभिधृति (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार दोनों पक्षों की उपस्थिति में कब्जेकाश्त अनुसार विभाजन

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आपसी सहमति से हुए बंटवारे का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है और ना ही कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा करने हेतु प्रतिवादी अपीलांट द्वारा सहमति अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विवादित आराजी में निहित वादी एवं प्रतिवादी के हिस्सों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत बंटवारे के दावे में पूर्व आपसी सहमति से हुए बंटवारे के दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान कब्जे के आधार पर विवादित आराजी के बंटवारे के संदर्भ में पारित अपीलाधीन निर्णय विधि मान्य नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत् बंटवारे के दावे में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करते समय प्रत्येक सहखातेदार के विधिमान्य हिस्से का स्पष्ट रूप से अंकन करते हुए निर्णय पारित किया जाना आवश्यक प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में सहखातेदारों के विधिमान्य हिस्से का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय स्पीकिंग निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधिमान्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2025 खारिज की जाती है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रतिवादी अपीलांट को जवाबदावा एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में तनकीवार विवेचन के पश्चात् पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में 27.10.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/08/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा